नेशनल लोक अदालत दिनांक : 12/11/2016

वादी द्वारा श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता। प्रतिवादी कमांक 01 लगायत 03 द्वारा श्री टी.पी.तोमर अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 04 पूर्व से एक पक्षीय। प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में राजीनामा प्रस्तुति हेतु नियत है।

इसी प्रास्थिति पर वादी अधिवक्ता श्री के.पी.राठौर ने एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य न्यायालय के बाहर राजीनामा हो गया है और वह इस प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते है। इसलिए उनका प्रकरण राजीनामे के अनुसार आज ही लोक अदालत में इसी प्रास्थिति पर समाप्त कर दिया जाये।

प्रतिवादी अधिवक्ता श्री तोमर ने भी न्यायालय के बाहर उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाने के तथ्य की पुष्टि की और वादी का आवेदन स्वीकार किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति ना होना व्यक्त किया।

अभिलेख का अवलोकन किया।

आदेश 23 नियम 01 सीपीसी के प्रावधान के अनुसार वाद संस्थित किये जाने के पश्चात् किसी भी समय अपनी वाद का प्रत्याहरण या परित्याग कर सकेगा।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रस्तुत आवेदन सद्भावनापूर्ण एवं वास्तविक है एवं उभय पक्ष के मध्य न्यायालय के बाहर स्वेच्छया राजीनामा हो चुका है। इसलिए उनके न्यायालय के बाहर हुये राजीनामे के आलोक में वादीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है और उनका वाद उनके द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आलोक में प्रत्याहृत किये जाने के आधार पर निरस्त किया जाता है।

इस संबंध में व्यय तालिका बनाई जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

01. राकेश गुप्ता अधिवक्ता (सदस्य)

(पंकज शर्मा) <u>पीठासीन अधिकारी लोक अदालत</u> जिला भिण्ड

02.. ए.बी. पाराशर अधिवक्ता (सदस्य)